रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082024-256444 CG-DL-E-16082024-256444

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 16, 2024/श्रावण 25, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 16, 2024/SHRAVANA 25, 1946

No. 466]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 505(अ).—जबिक व्यापार चिह्न नियम, 2017 में और संशोधन करने के लिए, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 157 की उप धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, कितपय नियमों के मसौदे को, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 35 (अ) दिनांक 2 जनवरी, 2024 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 10 जनवरी, 2024 को प्रकाशित किया गया था, जिसके माध्यम से, उक्त अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले आधिकारिक राजपत्र की प्रतियां, आम जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से, तीस दिनों की अविध समाप्त होने से पूर्व इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, जबिक, आधिकारिक राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, आम लोगों को दिनांक 10 जनवरी, 2024 और उसके बाद 1 जुलाई, 2024 को सार्वजनिक टिप्पणियाँ मांगने के लिए उपलब्ध करा दी गईं थीं।

5236 GI/2024 (1)

और, जबिक, उक्त मसौदा नियमों के संबंध में आम जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया।

अतः अब, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः –

जांच और अपील करना

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ-

- (1) इन नियमों को 'व्यापार चिह्न (जांच और अपील करना) नियम, 2024 कहा जाएगा।
- (2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
- 2. परिभाषाएं (1) इस नियम में, जब तक कि अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो, -
 - (क) "अधिनियम" का आशय व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) है;
 - (ख) "न्यायनिर्णयन अधिकारी" का आशय अधिनियम की धारा 112क के तहत अधिकृत अधिकारी से है;
 - (ग) "अपीलकर्ता" का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट है और अधिनियम की धारा 112ख की उप-धारा (1) के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने को प्राथमिकता देता है;
 - (घ) "अपीलीय प्राधिकारी" का आशय ऐसे अधिकारी से है जिसे अधिनियम की धारा 111ख की उप-धारा (1) के तहत प्राधिकृत किया गया हो;
 - (ङ) "प्रपत्र" का आशय ऐसे प्रपत्र से है जिसे इन नियमों के साथ संलग्न किया गया हो।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त उन शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो नियम में परिभाषित नहीं है परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए निर्धारित है।
- 3. शिकायत कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 107 के तहत किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न्यायनिर्णयन अधिकारी को प्रपत्र-I में शिकायत दर्ज करा सकता है।

4. जांच करना -

- (1) इस अधिनियम की धारा 112क के तहत न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति ने उस धारा में यथाविनिर्दिष्ट कोई उल्लंघन किया है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसे व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे नोटिस में विनिर्दिष्ट अविध के भीतर (जो कि तामील की तारीख से सात दिन की अविध से कम न हो) कारण बताना अपेक्षित होगा कि उसके विरुद्ध जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए।
- (2) उप-नियम (1) के तहत जारी किया गया प्रत्येक नोटिस किए गए कथित उल्लंघन की प्रकृति को इंगित करेगा।
- (3) ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय है कि इसकी जांच की जानी चाहिए, तो वह उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए या उसके द्वारा विधिवत रुप से अधिकृत अपने वकील के माध्यम से नोटिस में यथानिर्धारित तारीख को उपस्थिति होने की आवश्यकता के लिए एक नोटिस जारी करेगा।
- (4) नियत तारीख को, न्यायनिर्णयन अधिकारी, जिसके विरूद्ध कार्यवाही शुरु की गई है उस व्यक्ति या उसके वकील को, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए उल्लंघन और उस अधिनियम के उपबंधों, जिसके संबंध में उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, के बारे में स्पष्ट रूप से समझाएगा।

(5) तत्पश्चात, न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा, उस व्यक्ति को प्रपत्र-II में अपना पक्ष प्रस्तुत करने और ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाएगा, जिन्हें वह जांच के लिए प्रासंगिक समझे और यदि आवश्यक हो, तो सुनवाई को किसी अगली तारीख तक स्थगित किया जा सकता है और ऐसे साक्ष्य लेने में न्यायनिर्णयन अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (2023 का 47) के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

3

- (6) इस नियम के अधीन जांच करते समय, न्यायनिर्णयन अधिकारी को, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के जानकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, जो न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या संगत हो सकता है, की उपस्थित की आवश्यकता हो तो वह उपस्थित होने के लिए प्रवर्तित कर सकता है।
- (7) यदि कोई व्यक्ति उप नियम (3) के तहत यथा अपेक्षित रूप से न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, उपेक्षा करता है या उपस्थित होने से इंकार करता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थित में, ऐसा करने के कारणों को दर्ज करने के बाद, जांच को आगे बढ़ा सकता है।
- (8) यदि, न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने पर, न्यायनिर्णयन अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, तो वह, लिखित आदेश द्वारा, अधिनियम के तहत, ऐसी शास्ति लगा सकता है जो वह उचित समझता है।
- (9) उप-नियम (8) के तहत जारी किए गए प्रत्येक आदेश में अधिनियम के उन प्रावधानों को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिनके संबंध में उल्लंघन किया गया है और शास्ति लगाने के कारणों को शामिल करेगा।
- (10) उप-नियम (8) के तहत जारी किए गए प्रत्येक आदेश पर तारीख अंकित होगी और न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- (11) इस नियम के तहत किए गए आदेश की एक प्रति और कार्यवाही की अन्य सभी प्रतियां उस व्यक्ति को निःशुल्क दी जाएंगी जिसके विरुद्ध आदेश पारित किया गया है।
- (12) न्यायनिर्णयन अधिकारी, प्रतिपक्ष को जारी नोटिस की अवधि के तीन माह की अवधि के भीतर कार्यवाही को पूरा करेंगे।
- 5. अपील (1) कोई भी व्यक्ति, जो इस नियम के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट है तो वह इस आदेश के जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रपत्र-III में अपील कर सकता है।

बशर्ते कि, अपीलीय प्राधिकारी उक्त अवधि की समाप्ति के बाद, अपील पर कार्यवाही कर सकता है यदि, वह संतुष्ट होते हैं कि व्यक्ति के पास उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल न करने के पर्याप्त कारण हैं।

- (2) अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय प्राधिकारी एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उत्तरदाता से यह अपेक्षा होगी कि वह उस अवधि के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करे कि जैसा कि नोटिस में निर्धारित किया गया हो।
- (3) अपीलीय प्राधिकारी, पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, एक संगत आदेश पारित करेगा जिसमें स्थगन के आदेश भी शामिल हैं और सामान्यतः अपील की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर कार्यवाही पूरी करेंगे।
- 6. दोनों पक्षों को तामील (1) इन नियमों के तहत सभी पत्राचार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाएंगे।
- (2) इस प्रकार के संप्रेषण को सिद्ध करने के लिए, यह प्रदर्शित करना पर्याप्त होगा कि पत्राचार उचित तरीके से किया गया था और इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संप्रेषित किया गया था।

- 7. समयाविध बढ़ाना. न्यायनिर्णयन अधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी, लिखित रूप में रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों से, जहां विलंब या इस दिशा में कार्रवाई न करने के उचित कारण हैं, उस अविध को इन नियमों में विनिर्दिष्ट किसी भी समयाविध को तब तक बढ़ा सकता है, जैसा कि वह उचित समझे।
- 8. आदेश और शास्ति (1) इन नियमों के तहत प्रत्येक आदेश पर तारीख अंकित की जाएगी, उस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और सभी पक्षों को सूचित किया जाएगा तथा उसे भारतीय बौद्धिक संपदा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
 - (2) इन नियमों के तहत शास्ति के जरिए वसूल की गई सभी राशि भारत की समेकित निधि में जमा की जाएगी।"

प्रथम अनुसूची

प्रपत्र		
"प्रपत्र-।		
व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999		
उल्लंघन या चूक के	मामले में शिकायत	
[नियम 3 देखें]		
सेवा में,		
व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार,		
व्यापार चिह्न कार्यालय,		
1. शिकायतकर्ता का विवरण: -	प्रतिवादी का विवरण: -	
क. नाम :	क. नाम :	
ख. सेवाओं के लिए पता:	ख. सेवाओं के लिए पता:	
ग. संपर्क सूत्र :	ग. संपर्क सूत्र :	
घ. ई-मेल (सेवाओं के लिए):	घ. ई-मेल (सेवाओं के लिए):	
2. शिकायत का विवरण: -		
क. कथित उल्लंघन या चूक के होने की तिथि,		
समय और घटना:		
ख. सभी संबंधित सामग्री विवरण निर्धारित		
करते हुए उल्लंघन या चूक का विवरण:		
ग. विवरण की सहायता के लिए साक्ष्य:		
घ. लागत विवरण के साथ नुकसान की		
अनुमानित राशि (वित्तीय दृष्टिकोण से)		
मैं/हम, अपीलकर्ता यह घोषणा करता हूँ/करते	हैं कि यहां उल्लेख किए गए तथ्य मेरी/हमारी जानकारी,	
सूचना और विश्वास के अनुसार सही और सत्य हैं।		
3. शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर:		
4. उस वास्तविक व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं:		
नोट - जो लागू न हो उसे काट दें।		

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

प्रपत्र-II

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

उल्लंघन या चूक की शिकायत के संबंध में प्रतिवादी की तरफ से दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करना। [नियम 4(5) देखें]

		[नियम 4(5) देखें]	
सेवा	· म ें,		
व्याप	गार चिह्न रजिस्ट्रार,		
व्याप	गार चिह्न कार्यालय ,		
1.	क. नाम:	मैं/हम,	
	ख. पता:		
	ग. राष्ट्रीयता:		
		प्रपत्र-। में की गई शिकायत के संबंध में इस प्रकार प्रत्युत्तर प्रस्तुत	
		करता हूँ/करते हैं:-	
		जिस आधार पर प्रत्युत्तर दिया गया है वे निम्नानुसार हैं:	
2.	टेलीफोन और फैक्स नंबर(रों) जिसमें		
	पिन/कोड तथा राज्य सहित पूरा पता		
	n Du or	द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए	
		द्वारा हस्ताक्षारत किया जाना चाहिए	
3.	हस्ताक्षर:		
4.	उस वास्तविक व्यक्ति का नाम जिसने		
	हस्ताक्षर किए हैं:		
नोट	नोट - जो लागू न हो उसे काट दें।		

प्रपत्र-III			
व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999			
अपील			
	[नियम	5 देखें]	
सेवा	में,		
व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार,			
व्याप	गार चिह्न कार्यालय,		
1.	अपीलकर्ता का विवरण:-	प्रतिवादी का विवरप	ग : -
	क. नाम :	क. नाम :	
	ख. सेवाओं के लिए पता :	ख. सेवाओं के लि	नेए पता :
	ग. संपर्क सूत्र :	ग. संपर्क सूत्र :	
	घ. ईमेल (सेवाओं के लिए)	घ. ईमेल (सेवाओं	के लिए)
2.	अपील का विवरण : -		
	(मामले का विवरण अलग से संलग्न किया जाए।)		
<u> </u>		3. C C	
मैं/हम, अपीलकर्ता यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि यहां उल्लेख किए गए तथ्य मेरी/हमारी जानकारी,			
सूचना और विश्वास के अनुसार सही और सत्य हैं।			
3.	अपीलकर्ता के हस्ताक्षर:		
4.	4. उस वास्तविक व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं:		
नोट - जो लागू न हो उसे काट दें।			

[फा. सं. पी-24027/11/2023-निदेशक (के) का कार्यालय-डीपीआईआईटी] हिमानी पाण्डे, अपर सचिव

नोट: मूल नियम दिनांक 6 मार्च, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 119(अ)।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department For Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2024

G.S.R. 505(E).— WHEREAS the draft of certain rules, further to amend the Trade Marks Rules, 2017 was published on the 10th January, 2024 as required under sub-section (1) of section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) number G.S.R. 35(E), dated the 2nd January, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all person likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to public;

AND WHEREAS copies of the Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public on the 10th January 2024 and subsequently on 1st of July, 2024 for seeking public comments;

AND WHEREAS the objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by section 157 of the Trade Marks Act,1999 the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

HOLDING INQUIRY AND APPEAL

1. Short Title and Commencement. -

- (1) These rules may be called the Trade Marks (Holding Inquiry and Appeal) Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.** -(1) In the said rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "act" means the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999);
 - (b) "adjudicating officer" means an officer authorised under section 112A of the Act;
 - (c) "appellant" means a person aggrieved with an order of adjudicating officer and prefers an appeal before the appellate authority under sub-section (1) of section 112B of the Act;
 - (d) "appellate authority" means an officer authorised under sub-section (1) of section 112B of the Act.
 - (e) "form" means a form appended to these rules.
- (2) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the same meaning respectively assigned to them in the act.
- **3. Complaint.** Any person may file a complaint in Form-I through electronic means to the adjudicating officer regarding any contravention committed under section 107 of the Act.

4. Holding of inquiry. -

- 1. For the purposes of adjudication under section 112A of the Act whether any person has committed any contravention as specified in that section, the adjudicating officer shall, issue a notice through electronic means to such person requiring him to show cause within such period as may be specified in the notice (being not less than seven days from the date of service thereof) why an inquiry should not be held against him.
- 2. Every notice under sub-rule (1) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.
- 3. After considering the cause, if any, shown by such person, the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice requiring the appearance of that person personally or through a legal practitioner duly authorised by him on such date as may be fixed in the notice.
- 4. On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his legal practitioner, the contravention, committed by such person and the provisions of the Act, in respect of which contravention is alleged to have been committed.

- 5. The adjudicating officer shall, then, given an opportunity to such person to file his counter statement and produce such documents or evidence under Form-II as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date and in taking such evidence the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).
- 6. While holding an inquiry under this rule, the adjudicating officer may require and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.
- 7. If any person fails, neglects or refuses to appear as required under sub-rule (3) before the adjudicating officer, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.
- 8. If, upon consideration of the evidence produced before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied that the person has committed the contravention, he may, by order in writing, impose such penalty under the Act as he considers reasonable.
- 9. Every order made under sub-rule (8) shall specify the provisions of the Act in respect of which contravention has been committed and shall contain the reasons for imposing the penalty.
- 10. Every order made under sub-rule (8) shall be dated and signed by the adjudicating officer.
- 11. A copy of the order made under this rule and all other copies of proceedings shall be supplied free of cost to the person against whom the order is made.
- 12. The adjudicating officer shall complete the proceeding within three months from the issuance of the notice to the opposite party.
- **5. Appeal. -** (1) Any person aggrieved by an order of the adjudicating officer under this rule, may prefer an appeal in Form III through electronic means to the appellate authority, within sixty days from the date of the order:

Provided that the appellate authority may entertain appeal after the expiry of the said period if he is satisfied that he has sufficient cause for not filling the appeal within such period.

- On receipt of the appeal, the appellate authority shall issue a notice requiring to the respondent, to file his reply within such period as may be specified in the notice.
- (3) The appellate authority, shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard, pass a reasoned order, including an order for adjournment, and complete the proceedings ordinarily within sixty days from the date of the receipt of the appeal.
- **6. Serving upon parties.** (1) All communications under these rules shall be transmitted through electronic means only.
- (2) In proving such transmission, it shall be sufficient to show that the communication was properly addressed and transmitted through electronic means.
- **7. Extension of time.** The adjudicating officer or the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, where there is a reasonable cause for the delay or failure to act, extend any period specified in these rules till such period as he may think fit.
- **8. Order and penalties. -** (1) Every order under these rules, shall be dated, digitally signed, communicated to all the parties, and also uploaded on the official website of Intellectual Property India.
- (2) All sums realised by way of penalties under these rules shall be credited to the Consolidated Fund of India".

THE FIRST SCHEDULE

FORMS

"FORM-I			
THE TRADE MARKS ACT, 1999 Complaint for contravention or default			
[See rule 3] To.			
The Registrar of Trade Marks,			
The Trade Marks Office,			
At			
Particular of Complainant: -	Particular of Defendant: -		
a. Name:	a. Name:		
b. Address for service:	b. Address for service:		
c. Contact No:	c. Contact No:		
d. Email (for service):	d. Email (for service):		
2. Particulars of Complaint: -			
a. Date, time and instance of commission of the			
alleged contravention or default:			
b. Statement of contravention or default setting out			
all relevant material particulars:			
c. Evidence in support of the statement:			
d. Tentative amount of damage (in pecuniary terms)			
with cost break-up.			
I/We, the Complainant herein declare that the	facts stated herein are correct to the best or my/our		
knowledge, information and belief.			
3. Signature of the Complainant:			
4. Name of the natural person who has signed:			
Note. – Strike out whichever is not applicable.			

FORM-II		
THE TRADE MARKS ACT, 1999		
Furnishing of document or evidence on behalf of the respondent in respect of the complaint of contravention or		
default.		
	[See rule 4(5)]	
To,		
The Registrar of Trade Marks,		
The Trade Marks Office,		
At		
1. a. Name:	I/We,	
b. Address:		
c. Nationality:		
	hereby give a counter statement: - to the complaint made in Form-I	
	The grounds in which the counter statement is made are as follows:	
	-	
2. Complete address including postal index		
number/code and state along with		
telephone and fax number(s).		
To be s	igned by the opposite party	
3. Signature:		
4. Name of the natural person who has		
signed:		
Note. – Strike out whichever is not applicable		

FORM-III			
THE TRADE MARKS ACT, 1999			
Appeal			
[See r	ule 5]		
To,			
The Registrar of Trade Marks,			
The Trade Marks Office,			
At	D d 1 CD 1 d		
1. Particular of Appellant: -	Particular of Respondent: -		
a. Name:	a. Name:		
b. Address for service:	b. Address for service:		
c. Contact No:	c. Contact No:		
d. Email (for service):	d. Email (for service):		
2. Statement of Appeal: -			
(A statement of case may be separately attached.)			
I/We, the Appellant herein declare that the facts stated herein are correct to the best of my/our knowledge,			
information and belief.			
3. Signature of the Appellant:			
4. Name of the natural person who has signed:			
Note. – Strike out whichever is not applicable.			

[F. No. P-24027/11/2023-O/o Dir(K)-DPIIT]

HIMANI PANDE, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India; Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 119 (E), dated 6th day of March 2017.